राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2466/2024 शेर सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (राज.)। 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), खैरथल (राज.)। 5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर (राज.)।	01.08.2024	श्री दिनेश यादव, अभिभाषक
2.	2467/2024 सीताराम यादव	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (राज.)। 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटपूतली (राज.)। 5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर (राज.)।		
3.	2468/2024 सुशील कुमार			

आदेश की दिनांक : 05.08.2024

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2466/2024 शेर सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की वेतन विसंगति को सही निर्धारित किया जावे तथा अपीलार्थी के साथ नियुक्त हुये कार्मिक के वेतन एवं अपीलार्थी के वेतन की असमानता को दूर करते हुये समान वेतन दिया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि जिला परिषद् चित्तौडगढ़ द्वारा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के अंतर्गत अध्यापक ग्रेड–III के पद की दिनांक 30.06.1998 को विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये। जिला परिषद् चित्तौडगढ़ के आदेश दिनांक 30.10.1999 तथा 01.11.1999 के द्वारा विज्ञापन के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर तैयार की गई वरियता सूची अनुसार आशार्थियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर चयन किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का चयन नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को नियुक्ति नहीं दिये जाने पर अपीलार्थी द्वारा एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे आदेश दिनांक 26.02.2001 द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त एकल आदेश को सरकार द्वारा खण्ड पीठ में चुनौती दी गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा आदेश दिनांक 13.04.2001 से निरस्त कर दिया गया, तत्पश्चात् अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 02.12.2002 के द्वारा अध्यापक ग्रेड–III के पद पर जिला परिषद्, चित्तौडगढ़ में नियुक्ति प्रदान की गई। जिस कारण अपीलार्थी की नियुक्ति में विलम्ब हुआ, जिसमें अपीलार्थी की किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं जिम्मेदारी नहीं है।

उनका कथन है कि वर्ष 1998 को जारी विज्ञप्ति के क्रम में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बनाई गई मेरिट सूची में अपीलार्थी से नीचे की मेरिट के अभ्यर्थी श्री शंकरलाल शर्मा को वर्ष 1999 में नियुक्ति दी गई थी। परंतु मेरिट में उच्चतर स्थान प्राप्त करने के बावजूद अपीलार्थी को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। फलस्वरूप अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2002 एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 10.10.2002 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 28.10.2002 के निर्णय के अनुक्रम में अपीलार्थी को वर्ष 2002 में नियुक्ति प्रदान की गई। विलम्बित नियुक्ति के लिये अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। बल्कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ही गलत तरीके से चयन सूची बनाकर नियुक्ति आदेश जारी किये गये थे एवं इसके उपरांत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के पश्चात् अपीलार्थी को भी नियुक्ति प्रदान की गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी से कम मेरिट वाले परंतु पूर्व में ही नियुक्त श्री शंकरलाल शर्मा को दिनांक 01.08.2019 की स्थिति में मूल वेतन

रूपये 57800/– प्राप्त हो रहा है। जबकि अपीलार्थी को उक्त तिथी में रूपये 52300/– प्राप्त हो रहा है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने समान प्रकृति के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भूपेन्द्र सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य याचिका संख्या 7065/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2019 की ओर अधिकरण का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने मौखिक रूप से यह भी बहस की है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को पूर्व में पारित आदेश सुमन बाई व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य से अच्छादित मानकर निर्णीत किया है। सुमन बाई बनाम राज्य के प्रकरण (2009) डब्ल्यू एल सी 381 (राज.) में यह अभिनिर्धारित किया है कि *"Having regard to the facts of the case, writ petition is disposed of rerquiring the petitoners to make a representation to respondent No. 2 Director, Secondary Education, Bikaner, alongwith a copy of this order, who shall, after verifying the facts stated above, consider and decide the same by a speaking order, within a period of three months from the date of its making, addressing the grievance of the petitioners for extending them the relief as prayed for, as the candidates who stood lower in merit, are getting benefit of higher pay, seniority, annual grade increments and other service benefits including the selection scales. If the respondents No. 2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits."* उक्त न्यायिक दृष्टांत के दृष्टिगत नियमानुसार अपीलार्थी को भी वेतनमान में काल्पनिक लाभ अपीलार्थी से कम मेरिट वाले कार्मिकों को नियुक्ति देने की तिथी से ही दिया जाना अपेक्षित है तथा तद्नुसार ही अपीलार्थी की सेवा अवधि की गणना की जाकर आगामी वेतनमान में स्थरीकरण किया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की वेतन विसंगति को सही निर्धारित किया जावे तथा अपीलार्थी के साथ नियुक्त हुये कार्मिक के वेतन एवं अपीलार्थी के वेतन की असमानता को दूर करते हुये समान वेतन दिया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III के पद पर कार्यरत है, परंतु श्री शंकरलाल शर्मा जो अपीलार्थी से मेरिट में नीचे है, फिर भी अपीलार्थी से वेतन अधिक है, ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुये एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2466/2024 शेर सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)